



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक: 13583/अका./2014

रायपुर, दिनांक: 6/03/2014

॥ अधिसूचना ॥

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 07.01.2014 में विषय क्रमांक 3 पर लिये गए निर्णय निम्नांकित है :-

स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु संशोधित विनियम 129 में (6.1) विहित शुल्क एवं निरीक्षण समिति के गठन के संबंध में समिति की निम्नानुसार की गई अनुशंसा, का अनुमोदन किया गया-

- (1) [A] स्नातक स्तर पर प्रत्येक पाठ्यक्रम हेतु आधार पाठ्यक्रम के साथ प्रथम तीन मुख्य विषय के लिए रु. 15,000/- एवं प्रत्येक अतिरिक्त विषय हेतु रु. 10,000/-
- [B] स्नातकोत्तर स्तर हेतु प्रत्येक विषय के लिए रु. 15,000/-
- (2) तीन सदस्यी निरीक्षण समिति का गठन निम्नानुसार प्रस्तावित है -
 - (1) संकायाध्यक्ष - समन्वयक
 - (2) अध्यक्ष, अध्ययन मंडल - सदस्य
 - (3) विषय विशेषज्ञ - सदस्य

उपरोक्त निर्णय का अनुमोदन विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.02.2014 में विषय क्रमांक 3 पर किया गया है, अधिसूचित किया जाता है।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 13584 /अका./2014

रायपुर, दिनांक : 6/03/2014

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर (छ.ग.) ।
 2. सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, नया मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.) ।
 3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय परिसर, रायपुर (छ.ग.) ।
 4. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
 5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला,
 6. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर ।
 7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/ प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) ।
 8. समस्त विभाग प्रमुख, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) ।
 9. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर ।
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

उप कुलसचिव (अका.)